20रु COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

प्रेषित (51)

माननीय न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी R-74-I-15

श्री मनीष शर्मा, अभि० द्वारा आज दि. 13-1-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-1-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

13.1.15

राधाकिशन पुत्र रामदयाल मीना व्यवसाय काश्तकारी निवासी ग्राम डोकरयाखेडी तहसील चाचोडा जिला गुना म0प्र0

—— निगरानीकर्ता

विपरीत

हरवाई पुत्री रामदयाल पति जयनारायण मीना निवासी ग्राम चक उपरी तहसील कुभराज जिला गुना कृषक ग्राम डोकरयाखेडी तहसील चाचोडा जिला गुना म0प्र0 —— प्रतिनिगरानीकर्ता

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता उत्पन्न आदेश दिनांक 3/11/2014 पारित व्दारा न्यायालय तहसीलदार परगना चाचोडा / प्रकरण कमांक 52/अ/27/2013/2014 जिसके तहत रिवीजनिस्ट व्दारा प्रकरण मे स्वत्व का प्रशन उदभूत होने के कारण आवेदन वास्ते स्थगन वटवारा कार्यवाही प्रस्तुत किया गया था जो विधि विधान के विपरीत निरस्त किया गया है से उत्पन्न यह रिवीजन पेश की जा रही है।

रिवीजनिस्ट की और से रिवीजन सादर सविनय निम्नवत प्रस्तुत है ।

1—यह कि नानरिवीजनिस्ट / आवेदिका व्दारा माननीय अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष भूमि सर्वे कमांक 20. 81 82. 92. 94 कुल रकवा 1.818 स्थित ग्राम डोकरयाखेडी तहसील चाचोडा जिला गुना के लिये सुविधा की दृष्टि से वटवारा के लिये आवेदन पेश किया गया है ।

उक्त आवेदन का जवाव देते हुये रिवीजनिस्ट / अनावेदक व्दारा यह जवाव दिया गया कि आवेदिका का विवादित भूमि से कोई सवंध या सरोकार नही है विवादित भूमि पर रिवीजनिस्ट/ अनावेदक का एंकाकी तौर पर आधिपत्य एव स्वत्व है आवेदिका का स्वत्व न होने से

(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 74–एक/15 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.02.2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चाचौडा जि. गुना के प्र.क्रमांक 52/अ–127/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03–11–14 सत्यप्रतिलिपि अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध में आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3– तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदिका के द्वारा स्वत्व के प्रश्न पर स्थगन की मॉग की गई है जबकि उसके पिता के फौत होने से आवेदिका व उसके भाई को स्वत्व प्राप्त हो रहे है इसलिये आवेदिका का स्थगन आवेदन अस्वीकार किया जाकर प्रकरण फर्द रिपोर्ट के लिये नियत किया है, जो उचित है । अतः यह प्रथमदृष्टया यह निगरानी बलहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	

उक्त आदेश